**मूल-हिन्‍दी**

भारत सरकार

**शहरी विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं0 93**

09 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए

**fcgkj esa ^LekVZ&flVht\***

\***93- Jh jke ukFk Bkdqj%**

D;k **'kgjh fodkl** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ vxys rhu o"kks± esa fcgkj ds fdrus 'kgjksa dks ^LekVZ&flVh\* ds :i esa fodflr fd, tkus dh ;kstuk gS(

¼[k½ ns'k ds izR;sd jkT; ls ,sls 'kgjksa dks blesa lfEefyr fd, tkus ds fy, D;k ekunaM fu/kkZfjr fd, x, gSa( vkSj

¼x½ D;k bu ekunaMksa dh tkudkjh lacaf/kr jkT; ljdkjksa dks ns nh xbZ gS vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS\

**उत्तर**

**शहरी विकास मंत्री**

**(श्री एम. वेंकैया नायडु)**

**(क) से (ग):**  विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

**“बिहार में स्‍मार्ट-सिटीज” के संबंध में दिनांक 09.03.2017 के लिए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 93 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण**

**------**

**(क)और(ख):** राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में शहरी जनसंख्‍या और सांविधिक कस्‍बों की संख्‍या के आधार पर राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के बीच सौ (100) स्‍मार्ट सिटीज आबंटित किए गए हैं । इस सूत्र के आधार पर, बिहार को तीन स्‍मार्ट सिटीज आबंटित किए गए थे । बाद में, बिहार सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, पटना को भी स्‍मार्ट सिटी चुनौती में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है । अत:, बिहार से चार शहरों को स्‍मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किया जा सकता है बशर्ते कि वे इस चुनौती में अर्हता पूरी करते हों । प्रत्‍येक शहर के विकास की अवधि भिन्‍न है और शहर के स्‍मार्ट सिटी प्रस्‍ताव पर निर्भर करती है ।

**(ग):** मानदंड, स्‍मार्ट सिटीज मिशन के दिशानिर्देशों का भाग हैं और ये राज्‍यों एवं हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किए गए थे । मिशन दिशानिर्देश दिनांक 25 जून, 2015 को जारी किए गए थे और इससे पहले, 12 सितम्‍बर, 2014, 30-31 जनवरी, 2015 और 26 फरवरी, 2015 को राज्‍यों और शहरों के साथ परामर्श किया गया था ।

\*\*\*\*\*\*\*